संख्या- 22/1364 ई-2/तेरह-2014-136/2013

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
इलहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 03 नवम्बर, 2014

विषय:जनपद बाराबंकी की वर्ष 1970-71 की ताड़ी दुकान अनवारी, टिकैतगंज के बकायेदार श्री तुलसीराम पुत्र श्री राम दयाल निवासी नानमऊ, तहसील-नवाबगंज, जनपद बराबंकी की अनुज्ञापन शुल्क की अवसूलनीय बकाया धनराशि रू0 10,482.00 के राजस्व परित्यजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- जी-34/सात-राजस्व परित्यजन/1970-71/बाराबंकी/10,482/ दिनांक 13 मई, 2013 एवं जी-32/सात-राजस्व परित्यजन/1970-71/बाराबंकी/10,482 दिनांक 15 जुलाई, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- जनपद बाराबंकी की वर्ष 1970-71 की ताड़ी दुकान अनवारी, टिकैतगंज के बकायेदार श्री तुलसीराम पुत्र श्री राम दयाल निवासी नानमऊ, तहसील-नवाबगंज, जनपद बराबंकी की अनुज्ञापन शुल्क की अवसूलनीय बकाया धनराशि रू0 10,482.00 के विरूद्व वसूली प्रमाण पत्र दिनांक 12-08-1996 निर्गत किया गया। वसूली न होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 को वापस कर दिया गया। जिला आबकारी अधिकारी, बाराबंकी द्वारा अवसूलनीय बकाये की समीक्षा, संयुक्त जांच तथा वसूली प्रमाण-पत्र के वापस प्राप्त होने तथा प्रकरण पुराना होने के कारण वसूली किया जाना सम्भव नहीं है। बकायेदार द्वारा दिये गये स्थान/पते पर न तो रहता है और न ही उसका कोई वारिस/सम्बन्धी रह रहा है और न ही उसके नाम कोई चल-अचल सम्पत्ति है। जिला आबकारी अधिकारी बाराबंकी ने उक्त बकायेदार की अवसूलनीय बकाये में निहित धनराशि रू0 10,482.00 के राजस्व परित्यजन की संस्तुति की। हैसियत प्रमाण-पत्र की स्थिति एवं इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्व कार्यवाही के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। उप आबकारी आयुक्त फैजाबाद प्रभार की जांच आख्या सहित दिनांक 14 जून, 2012 द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से जी-31 के माध्यम से जिलाधिकारी, बाराबंकी को राजस्व परित्यजन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया।

http://finanadesh.up.nic.in

3- उक्त स्थिति के दृष्टिगत जिलाधिकारी, बाराबंकी ने अपने पत्र दिनांक 11 जुलाई, 2012 द्वारा जी-31 मय वसूली प्रमाण पत्र तथा संयुक्त जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि बाकीदार अंकित पते पर निवास नहीं करते हैं और न ही उनके बार में कोई जानकारी है और कोई चल अचल सम्पत्ति उनके नाम नहीं है, फलस्वरूप बकाया वसूल होना सम्भव नहीं है। अत- उक्त बकाये का राजस्व परित्यजन किये जाने की संस्तुति की गई है।

4- तदयक्रम में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांक 13 मई, 2013 एवं 15 जुलाई, 2014 द्वारा जिला आबकारी अधिकारी, फैजाबाद की आख्या दिनांक 04 जनवरी, 2013 व उप आबकारी आयुक्त की संयुक्त जांच आख्या दिनांक 14 जून, 2012 तथा जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा प्रपत्र जी-31 पर राजस्व परित्यजन के सम्बन्ध में प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर जनपद बाराबंकी की वर्ष 1970-71 की ताड़ी दुकान अनवारी, टिकैतगंज के बकायेदार श्री तुलसीराम पुत्र श्री राम दयाल निवासी नानमऊ, तहसील-नवाबगंज, जनपद बराबंकी की अनुज्ञापन शुल्क की अवसूलनीय बकाया धनराशि रू0 10,482.00 (रू0 दस हजार चार सौ बयासी मात्र) के राजस्व परित्यजन की संस्तुति/प्रस्ताव किया गया है।

5- अत- उपरोक्त वर्णित स्थिति में जनपद बाराबंकी की वर्ष 1970-71 की ताड़ी दुकान अनवारी, टिकैतगंज के बकायेदार श्री तुलसीराम पुत्र श्री राम दयाल निवासी नानमऊ, तहसील-नवाबगंज, जनपद बराबंकी की अनुज्ञापन शुल्क की अवसूलनीय बकाया धनराशि रू0 10,482.00 (रू0 दस हजार चार सौ बयासी मात्र) के राजस्व परित्यजन की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-

(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव

संख्या- 22/1364 (1) ई-2/तेरह-2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदे, इलाहाबाद।

2- वित्त (लेखा) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

4- जिलाधिकारी, बाराबंकी।

आज्ञा से,

ह0/-

(सुनील कुमार पाण्डेय)

अनुसचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in